फर्द—अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का पायला खुर्द बनाम श्री मांगे खां

पुत्र श्री सुलेमान खां जाति मोयला कुम्हार

नि0 पायला खुर्द

किस्म मुकदमा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 01 वर्ष 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिली की
12-04-18	पटवारी हल्का पायला खुर्द ने रिपोर्ट पेश कर सुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2075 में मौजा पायला खुर्द के खसरा नम्बर 271 .... रकबा 0-09 बीघा किस्म भूमि गै.मु.आगोर पर नाजायज अतिकमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.4.18 को बमुकाम न्यायालय सिणधरी पर पेश हो। नायब तहसीलदार सिणधरी	
23.4.18	पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अतिक्रमी को प्रेषित नोटिस की तामिली सूचना अप्राप्त है। अतः आयन्दा पत्रावली दिनांक 25.05.18 को प्रस्तुत हो। नायब तहसीलदार सिणधरी	
25.5.18	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल का नोटिस तामील शुदा प्राप्त जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर ...	

... के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के ... पर क्र.सं. 1 पर जुर्माना/फसल ... 50/- की मांग दर्ज की गई। 13.7.18 तहसील राजस्व लेखाकार तहसील सिणधरी

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण स0/01/2018 संवत 2075 सन 2018

राज्य सरकार बजरिये पटवारी बनाम मांगे खां वल्द सुलेमान खां कौम मोयला कुम्हार निवासी पापला खुर्द

पटवारी हल्का पापला खुर्द ने रिर्पोट पेश कर सूचित किया कि आप मौजा पापला खुर्द के खसरा नम्बर 271 किस्म भूमि गै.मु. आगोर रकबा 25-01 बीघा में से 0-09 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हैं।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता हैं कि आप दिनांक 23/4/18 25/5/18 से पूर्व भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या लीडर द्वारा दिनांक 23/4/18 25/5/18 को **10.00 बजे पूर्वान्ह** अदालत हाजा में हाजिर होवें तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नही किया जावें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरूद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नही सिविल कारावास सुपुर्द कर जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती हैं।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख, समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जावेगा।

आज दिनांक 12/4/18 23/4/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

नायब तहसीलदार सिणधरी

नायब तहसीलदार सिणधरी